संख्या-9/2015/232/अड़तीस-5-15-2 बजट/2013 (ए)

पे्रषक,

पी0एन0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 27 मार्च,2015

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में पेयजल के विभिन्न कार्यक्रम हेतु केन्द्रांश की धनराशि को अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक-241/डब्लू-409/ 2015, दिनांक 20.03.2015 एवं तद्संलग्न पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या-डब्लू-11022 /4/2014 /एन0आर0डी0डब्लू0पी0/वाटर/519, दिनांक 16 मार्च, 2015 के माध्यम से रू0 1020.29 लाख एवं स्वीकृत आदेश संख्या- डब्लू-11022 /4/ 2014 / एन0आर0डी0डब्लू0पी0/वाटर/522, दिनांक 16 मार्च, 2015 के माध्यम से कुल रू0 134.57 लाख की धनराशि एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक हेतु (ईयर माक्र्ड वाटर क्वालिटी के अन्तर्गत वैक्टीरियोलाजिकल एवं केमिकल मद) वर्ष 2014-15 में केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार भारत सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-2015 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एस0सी0पी0 मद में प्राप्त केन्द्रांश रू0 1154.86 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ चैवन लाख छियासी हजार मात्र) एवं मैचिंग राज्यांश के रूप में रू0 1154.86 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ चैवन लाख छियासी हजार मात्र) कुल धनराशि रू0 2309.72 लाख (रूपये तेइस करोड़ नौ लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) धनराशि का व्यय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त स्वीकृत आदेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश /राज्यांश की धनराशि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1045/अड़तीस-5-14, दिनांक 31 जुलाई, 2014 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रोगाम एकाउन्ट में जमा की जायेगी एवं निर्धारित अवधि में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जायेगी।

http://sirsanadesh.up.nic.in

3- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपरोक्तानुसार प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि रू0 2309.72 लाख (रूपये तेइस करोड़ नौ लाख बहत्तर हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-जलपूर्ति -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-01-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) (के.50/ रा.50-के. +रा.) -24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0एन0त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 232 (1)/अड़तीस-5-15, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, 9वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
3. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा ।
11. महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान झांसी।
12. समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ), उत्तर प्रदेश शासन।
13. नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3 ।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
15. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी0एन0त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in